भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2140

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेघालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

2140. श्री सालेंग ए. संगमाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान मेघालय राज्य के लिए, विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से संबंधित स्वीकृत परियोजनाओं और निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मेघालय राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को कुल कितनी निधि वापस की गई या प्रत्यावर्तित की गई?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य राज्य का विषय है; अतः, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडबल्यू) स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उल्लिखित आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन बाल स्वास्थ्य, के अंतर्गत, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और बुनियादी ढाँचे के रखरखाव जैसी पहलों/परियोजनाओं में सहायता करता है। मेघालय राज्य के लिए स्वीकृत विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है: https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=53&lid=66

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त, भारत सरकार ने मेघालय को जन स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए धनराशि आवंटित की है:

i. **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश बढ़ाने की परिकल्पना करता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत

स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमताओं के विकास पर बल दिया गया है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सभी स्तरों पर सेवा प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करना है।

ii. **15वें वित्त आयोग (XV-एफसी)** के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत मौजूदा बजट से इतर वर्ष 2021-26 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने हेतु 70,051 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। ये अनुदान स्थानीय सरकारों को उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के उन्नयन के लिए सक्षम बनाते हैं।

iii. **भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-I और II):** महामारी के दौरान शुरू किए गए इन पैकेजों का उद्देश्य एक मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना और मुफ़्त कोविड-19 का निःशुल्क परीक्षण, उपचार और टीकाकरण प्रदान करना था। इससे महामारी संबंधित स्वास्थ्य देखभाल व्यय (ओओपीई) में कमी आयी।

iv. **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई)** प्रत्येक पात्र परिवार को द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष 5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करती है। एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थी 31,466 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं, जिनमें 14,194 निजी अस्पताल हैं।

(ख): स्वास्थ्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से संबंधित निधियों का विवरण जो गत पाँच वर्षों में मेघालय राज्य के लिए स्वीकृत की गई थीं, अनुलग्नक में दिया गया है।

मेघालय राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को कोई निधि लौटाई या वापस नहीं की गई।

अनुलग्नक

मानननीय सांसद श्री सालेंग ए. संगमा द्वारा दिनांक 01.08.2025 को लोकसभा में पूछे जानेवाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2140 "मेघालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के संबंध में दिए गए उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

गत पाँच वर्षों के दौरान मेघालय राज्य सरकार को स्वीकृत/जारी धनराशि का विवरण

I. एनएचएम और पीएम-एबीएचआईएम

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**एनएचएम**		**पीएम-एबीएचआईएम**	
	केंद्र द्वारा जारी राशि	**व्यय**	**केंद्र द्वारा जारी राशि**	**व्यय**
2020-21	202.63	213.36	-	-
2021-22	282.46	227.08	9.65	0.00
2022-23	261.56	319.08	43.28	8.80
2023-24	261.39	305.83	4.42	28.02
2024-25	297.95	393.01	10.50	27.34

नोट: (i) उपरोक्त जारी राशि केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित है और इसमें राज्य अंशदान शामिल नहीं है।

(ii) व्यय में केंद्र द्वारा जारी राशि, राज्य द्वारा जारी राशि और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष राशि शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

II. ईसीआरपी-I और ईसीआरपी-II

(करोड़ रुपये में)

ईसीआरपी-I	**ईसीआरपी-II**
15.61	104.12

नोट: (i) ईसीआरपी-चरण I के अंतर्गत जारी राशि और यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है।

(ii) ईसीआरपी-चरण II के अंतर्गत जारी राशि और यह एनएचएम के अंतर्गत वित्त पोषण पैटर्न के अनुसार है।

III. 15वें वित्त आयोग के अनुदान

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत राशि (एनएलसी के अनुसार)	जारी
2021-22 से 2025-26	310.95	299.1	117.16

IV. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	जारी निधि
2020-21	49.52
2021-22	22.28
2022-23	47.31
2023-24	49.74
2024-25	40.09

*****